

कार्यालय
आयकर आयुक्त
आयकर भवन, सिविल लाइन्स इलाहाबाद

फा०सं० 58-59/32A/80G(5)(vi)/तक०/इला०/2010-11

दिनांक 29.03.2011

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-80G(5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदन आदेश

ओम श्री सिद्धिविनायक फाउण्डेशन(AAATO2764M)

A-112, मेहदौरी कालोनी, तेलियरगंज, इलाहाबाद

उपरोक्त मामले में दिनांक 11.10.2010 के आवेदन के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि ट्रस्ट/संस्था/फंड को दिया गया संदाय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-80G(5)(vi) के अन्तर्गत धारा और विहित नियमों में दी गयी सीमाओं और शर्तों के अधीन आपको दिया गया दान दाताओं के फूट के योग्य होगा।

यह कर मुक्ति प्रमाण पत्र दि०वर्ष 2010-11(नि०वर्ष 2011-12) से प्रदान किया जाता है।



(डी०एन०मिश्र)

आयकर आयुक्त,
इलाहाबाद

नोट:-

- 1- दानदाताओं को जारी की गयी रसीदों पर इस आदेश की संख्या और तारीख अंकित होना चाहिए तथा यह भी स्पष्ट होना चाहिये कि प्रमाण पत्र दि०वर्ष 2010-11(नि०वर्ष 2011-12) से प्रदान किया जाता है।
- 2- इस मान्यता प्रमाण पत्र से ट्रस्ट/संस्था/फंड को अपने कर निर्धारण में फूट का दावा करने का स्वतः अधिकार नहीं प्राप्त हो जायेगा। क्या निर्धारिती अधिनियम की धारा 2(15) के अभिप्राय के अन्तर्गत पूर्त (चैरिटेबल) है और क्या धारा 11, 12, 12A और 13 में दी गयी शर्तें पूरी होती हैं, के संदर्भ में निर्धारण अधिकारी अलग से इसकी जांच करेगा।
- 3- जहां न्यास/संस्था को व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ से कोई आय होती है तो उसे दानदाता को इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र जारी करना होगा कि दान से प्राप्त राशि को व्यवसाय में नहीं लगाया गया है तथा ऐसे व्यवसाय के रिकार्ड के लिए अलग से लेखा पुस्तकें बनायी गयी हैं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. ओम श्री सिद्धिविनायक फाउण्डेशन, A-112, मेहदौरी कालोनी, तेलियरगंज, इलाहाबाद।
2. आयकर अपर आयुक्त, रेन्ज-I/II इलाहाबाद एवं रेन्ज-III मिर्जापुर।
3. निर्धारण अधिकारी।

(के०एन०सोनकर)

आयकर सहायक आयुक्त(मु०)
कृते आयकर आयुक्त, इलाहाबाद